

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर॥
:: दिनांक 16.07.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 16.07.2026 को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

- | | |
|--|-------|
| 1. श्री विक्रम सिंह,
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 2. श्री गोविन्द प्रसाद,
शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्री कृष्णकांत सांखला,
सहायक निदेशक परिवीक्षा,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्री जगमोहन मित्रुका,
उप विधि परामर्शी,
महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में 04 बंदियों का प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
धर्मराज उर्फ गोलू पुत्र सीताराम	के.का.कोटा	2290/2026	03.07.2026	07.07.2026
कोलाराम पुत्र बादराम	के.का.जोधपुर	2997/2026	06.07.2026	08.07.2026
दातार सिंह पुत्र माल सिंह	के.का.बीकानेर	2129/2026	06.07.2026	08.07.2026
भागीरथराम उर्फ बबलू पुत्र पप्पूराम	के.का.जोधपुर	1881/2026	02.07.2026	09.07.2026

स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी धर्मराज उर्फ गोलू पुत्र सीताराम, केन्द्रीय कारागृह, कोटा:-

बंदी को विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट, क्रम संख्या 02 बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 60/2019 अंतर्गत धारा 366, 376डी आई.पी.सी. में दिनांक 26.08.2020 को 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा

सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 09.09.2025 को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को प्रतिबंधित धारा 376डी आई.पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2290/2026 धर्मराज बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 03.07.2026 पारित किया है कि "In view of the foregoing discussion and keeping in view the law laid down in Subhash (supra) and Sandeep (supra), the present criminal writ petition is disposed of. The impugned order dated 09.09.2025 (Annexure-2), whereby the petitioner's application for transfer to the Open Air Camp came to be rejected, is quashed and set aside qua the present petitioner. The matter is remanded to the competent authority of the respondent-department for reconsideration of the petitioner's case for transfer to the Open Air Camp in the light of the judgments rendered in Subhash (supra) and Sandeep (supra). The aforesaid exercise shall be completed by the competent authority within a period of two months from the date of receipt of a certified copy of this order. Stay application stands disposed of."

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुभाष बनाम राजस्थान राज्य में दायर रिट संख्या 2823/2025 निर्णय दिनांक 28.10.2025 तथा बंदी संदीप बनाम राजस्थान राज्य में दायर रिट संख्या 532/2021 निर्णय दिनांक 23.11.2021 के अनुरूप इस प्रकरण में भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

उक्त रिट याचिकाओं 2823/2025 व 532/2021 में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2025 एवं 23.11.2021 की पालना में तत्समय समिति द्वारा इन्हे कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2290/2026 में जारी आदेश दिनांक 03.07.2026 की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी धर्मराज उर्फ गोलू पुत्र सीताराम को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. दण्डित बंदी कोलाराम पुत्र बदाराम, केन्द्रीय कारागृह जोधपुर:-

बंदी को विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट, क्रम संख्या 01 पाली द्वारा प्रकरण संख्या 48/2020 अंतर्गत धारा 363,366,352,376एबी,376जे आई.पी.सी. एवं 5(के)/6 पोक्सो एक्ट, 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट में दिनांक 18.11.2021 को 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 30.12.2025 को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को प्रतिबंधित धारा 5(के)/6 पोक्सो एक्ट, 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष

जोधपुर 09/12/25
[Handwritten signatures and initials]

कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2997/2026 कोलाराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 06.07.2026 पारित किया है कि " In view of the foregoing discussion and keeping in view the law laid down in Subhash (supra) and Sandeep (supra), the present criminal writ petition is disposed of. The impugned order dated 30.12.2025 (Annexure-2), whereby the petitioner's application for transfer to the Open Air Camp came to be rejected, is quashed and set aside qua the present petitioner. The matter is remanded to the competent authority of the respondent-department for reconsideration of the petitioner's case for transfer to the Open Air Camp in the light of the judgments rendered in Subhash (supra) and Sandeep (supra). The aforesaid exercise shall be completed by the competent authority within a period of two months from the date of receipt of a certified copy of this order. Stay application stands disposed of. "

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुभाष बनाम राजस्थान राज्य में दायर रिट संख्या 2823/2025 निर्णय दिनांक 28.10.2025 तथा बंदी संदीप बनाम राजस्थान राज्य में दायर रिट संख्या 532/2021 निर्णय दिनांक 23.11.2021 के अनुरूप इस प्रकरण में भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

उक्त रिट याचिकाओं 2823/2025 व 532/2021 में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2025 एवं 23.11.2021 की पालना में तत्समय समिति द्वारा इन्हे कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2997/2026 में जारी आदेश दिनांक 06.07.2026 की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी कोलाराम पुत्र बदाराम को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

3. दण्डित बंदी भागीरथराम उर्फ बबलू पुत्र पप्पूराम, केन्द्रीय कारागृह जोधपुर:-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-05 जोधपुर महानगर द्वारा प्रकरण संख्या 60/2017 अंतर्गत धारा 302,364,201,397/120बी आई.पी.सी. में दिनांक 29.06.2024 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 07.10.2025 को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को प्रतिबंधित धारा 397/120बी आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1881/2026 भागीरथ राम बनाम राजस्थान

30.07.2024
[Handwritten signatures and initials]

राज्य व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 02.07.2026 पारित किया है कि "The present criminal writ petition has been filed against the minutes of the meeting dated 07.10.2025, whereby the case of the petitioner for transfer to the Open Air Camp has been rejected. In view of the judgment rendered in the case of Subhash (supra), the present criminal writ petition is disposed of and the matter is remanded back to the Committee for reconsideration of the case of the petitioner in the light of the observations made by this Court in the case of Subhash (supra)."

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुभाष बनाम राजस्थान राज्य में दायर रिट संख्या 2823/2025 निर्णय दिनांक 28.10.2025 के अनुरूप इस प्रकरण में भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

उक्त रिट याचिका 2823/2025 में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2025 की पालना में तत्समय समिति द्वारा इन्हे कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1881/2026 में जारी आदेश दिनांक 02.07.2026 की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी भागीरथराम उर्फ बबलू पुत्र पप्पूराम को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी दातार सिंह पुत्र माल सिंह, केन्द्रीय कारागृह बीकानेर:-

बंदी को अपर सेशन न्यायाधीश डीडवाना (नागौर) द्वारा प्रकरण संख्या 22/2006 अंतर्गत धारा 302 विकल्प 302/149,307 विकल्प 307/149,450,148 आई.पी.सी. व 7/25 आर्म्स एक्ट, 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 05.03.2018 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर पूर्व में बंदी को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने की अनुशंसा समिति द्वारा किये जाने पर बंदी को बंदी खुला शिविर में निरूद्ध रखा गया।

दण्डित बंदी दातार सिंह पुत्र माल सिंह के बंदी खुला शिविर सांगानेर में निरूद्धीकरण के दौरान दिनांक 06.05.2025 को सांयकाल की गिनती में अनुपस्थित पाया गया। बंदी को पुलिस थाना विद्याधर नगर जयपुर उत्तर द्वारा अन्तर्गत धारा 126,170 बी.एन.एस. में गिरफ्तार कर दिनांक 07.05.2025 को जेल दाखिल किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 09.09.2025 की बैठक में बंदी को राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के प्रावधानों के तहत अपात्र के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 169/2026 दातार बनाम राजस्थान व अन्य दायर

जोड्ड 02/11/26

hr

File

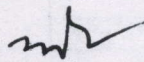
C

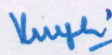
की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 29.01.2026 के क्रम में समिति की बैठक दिनांक 24.03.2026 को आयोजित कर उक्त तथ्यों के दृष्टिगत बंदी का बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

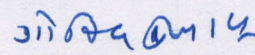
अब बंदी द्वारा पुनः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2129/2026 दातार बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 06.07.2026 पारित किया है कि "Learned counsel for the petitioner seeks to withdraw the present Criminal Writ Petition with the request that the respondents may be directed to re-consider the case of the petitioner for sending him in the Open Air Camp as and when the next meeting is held. Learned Additional Advocate General submits that the case of the petitioner shall be re-considered in the next meeting. In view of the statements made before this Court, the Criminal Writ Petition is dismissed as withdrawn with the direction to the State Government to re-consider the case of the petitioner for sending him to the Open Air Camp in the next meeting."

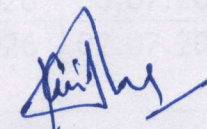
बंदी के प्रकरण में पुनः समिति द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर से प्राप्त टिप्पणी अनुसार बंदी दिनांक 06.05.2025 को सांयकाल गिनती के दौरान अनुपस्थित रहा था, जिसके संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम से जरिये दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुआ कि दण्डित बंदी दातार सिंह पुत्र माल सिंह को पुलिस थाना विद्याधर नगर जयपुर उत्तर धारा 126,170 बी.एन.एस. में गिरफ्तार किये जाने पर बंदी को पुलिस द्वारा दिनांक 07.05.2025 को जेल दाखिल करवाया गया। इस प्रकार बंदी दिनांक 06.05.2025 से 07.05.2025 बंदी खुला शिविर से फरार रहा है। उक्त कृत्य के कारण बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत पात्रता अर्जित नहीं करता है।

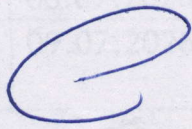
अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी दातार सिंह पुत्र माल सिंह को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।


(अशोक राठौड़)
अध्यक्ष
महानिदेशक
कारागार,
राजस्थान
जयपुर


(विक्रम सिंह)
सदस्य
महानिरीक्षक
कारागार,
राजस्थान
जयपुर


(गोविन्द प्रसाद)
सदस्य
महानिरीक्षक गृह,
गृह (ग्रुप-12)
विभाग, राजस्थान,
जयपुर


(कृष्णकांत सांखला)
सदस्य
सहायक निदेशक
परिवीक्षा,
सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर


(जगमोहन मिश्रा)
सदस्य
उप विधि
परामर्शी,
महानिदेशालय
कारागार